रजि.क्र. 87 / जय / 2000–01

त्याग ! सेवा!! समर्पण!!!

अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान

बस्सी, जयपुर (राज.)– 303301, फोन. 01429294038, मो. 9785100038

तुलनात्मक विवरण

विधान उपनियम संख्या	पंजिकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नया नियम
1.	संस्था का नाम : इस संस्था का नाम अभिनव शैक्षिक सामाजिक विकास संस्थान है व रहेगा।	यथावत।
2.	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय खादी ग्रामोद्योग के सामने ग्राम पो. बस्सी, जिला, जयपुर राजस्थान में है तथा इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जयपुर जिला तक सीमित होगा।	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान ग्राम चाकसू जिला, जयपुर 303901 राजस्थान में है। संस्था का पंजीकृत कार्यालय पता मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, परिसर चाकसू जिला, जयपुर में रहेगा तथा इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान प्रान्त तक सीमित होगा। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अपनी शाखाएँ एवं कार्यालय प्रान्त के किसी भी भाग, शहर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति स्तर पर प्रारम्भ एवं संचालित कर सकेगी।
3.	संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है। 1. संस्था विशेष रूप से पिछड़े ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रो में शिक्षा में अवसर की समानता के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा संस्थानो एवं साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो एवं मूकबधिर पूर्व प्राथमिक (मॉन्टेसरी) एवं आवासीय विद्यालयो की स्थापना कर संचालन एवं प्रबन्ध करना।	यथावत।

CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

	2. विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन एवं कल्याण हेतु छात्रावासों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, विज्ञान कक्षो, खेल परिसर (लघु स्टेडियम) की स्थापना, कला, संगीत, सौन्दर्यात्मक, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या, यातायात शिक्षा, सह–शैक्षिक गतिविधियों, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता एवं मार्गदर्शन, पोषाहार कार्यक्रम आदि विद्यार्थी कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करना। 3. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना कर सिलाई कशीदाकारी गृहसज्जा, प्रबन्ध, कम्प्यूटर, संचार, मेहंदी, पेन्टिग, ड्रेस एवं टेक्सटाईल डिजाइनिंग, सॉफ्ट टाइज, कृषि, पशुपालन, फल–सब्जी परीक्षण बिजली व घरेलु उपकरणो की मरम्मत व रख रखाव स्वास्थ्य एवं सोन्दर्यरक्षा जैसे विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमो व हॉबी कक्षाओं का आयोजन करना। 4. संस्था विद्यालय, महाविद्यालय के साथ आई.टी.आई, यांत्रिक महाविद्यालय, पोलोटेक्निकल संस्थान, नर्सिंग कालेज, फार्मेसी कालेज, ए एन एम, जी एन एम, बी.एड. कालेज (शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय एवं महाविद्यालय), मुकबधिर (विषेश शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय एवं महाविद्यालय), मेडिकल कालेज, पेरामेडिकल, पशुपालन चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कालेज, कृषि महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्रतियोगी परीक्षा की कक्षाओं एवं विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन एवं कल्याण हेतु छात्रावासों, जैसी संस्थाओं की स्थापना कर संचालन करना।	निर्मला

अध्यक्ष
CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

सचिव
SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

कोषाध्यक्ष
TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

4.	सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगेः– 1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हों। 3. पागल, दीवालिये न हों तथा स्वस्थचित्त हों। 4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।	यथावत।
5.	सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्नप्रकार वर्गीकृत होंगें– 1. संरक्षक 2. विशिष्ठ 3. सम्माननीय 4. साधारण (जो लागू न हेा, उसे काट दीजिये)	यथावत।
6.	सदस्यो द्वारा प्रदत शुल्क व चन्दा : नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यो द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा 1. सरक्षण राशि......X.......वार्षिक / आजन्म 2. विशिष्ठ राशि...... X........वार्षिक / आजन्म 3. सम्माननीय राशि........ X......वार्षिक 4. साधारण राशि 1100 /– वार्षिक (उक्त राशि एक मुश्त अथवा रू ....की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी)	यथावत।
7.	सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा 1. मृत्यु होने पर 2. त्याग –पत्र देने पर 3. संस्था के उद्धेश्यों के विपरित कार्य करने पर 4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।	यथावत।

अध्यक्ष
CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

सचिव
SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

कोषाध्यक्ष
TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

	उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।	
8.	साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगें।	यथावत।
9.	साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होगें। 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबन्ध कारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4. संस्था के कुल सदस्यो के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा।)	यथावत।
10.	साधारण सभा की बैठके : 1. साधारण सभा की वर्ष की वर्ष एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय	यथावत।

अध्यक्ष
CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

सचिव
SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

कोषाध्यक्ष
TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

	पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगें जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हेा के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यो मेंसे कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगें।	
11.	कार्यकारिणी का गठन : सस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगः– 1. अध्यक्ष–एक 2. उपाध्यक्ष– एक 3. मंत्री –एक 4. कोषाध्यक्ष–एक 5. सदस्य–11 (उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावे, तो यहा अंकित करें। कम रखना चाहे ता कम रखे ले) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 पदाधिकारी व सदस्य 11 कुल 15 सदस्य होगे तथा भविष्य में आवश्कतानुसार कार्यकारिणी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।	यथावत।

अध्यक्ष CHAIRMAN Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur) Reg.No.-87/2000-2001JPR

सचिव SECRETARY Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur) Reg.No.-87/2000-2001JPR

कोषाध्यक्ष TREASURER Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur) Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

12.	कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष /प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।	यथावत।
13.	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगें । 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना 2. वार्षिक बजट तैयार करना 3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तो की निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयो को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।	यथावत।
14.	कार्यकारिणी की बैठके : 1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यता होने पर बैठके अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित	

अध्यक्ष
CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

सचिव
SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

कोषाध्यक्ष
TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

	की जा सकेगी जो पुनःदूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठकमें कोरम की आवश्यकता नही होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जा पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	
15.	प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियो के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्ध कारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगेः—	संस्थान का विधान उपनियम संख्या 15 में परिर्वद्धन किया जाता है कि संस्था
	1. अध्यक्षः 1. बैठको की अध्यक्षता करना 2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना 3. बैठके आहूत करना। 4. सस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना	यथावत।
	2. उपाध्यक्षः 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। 2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारों का उपयोग करना।	यथावत।
	3. मंत्री 1. बैठकें आहूत करना। 2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना। 3. आय—व्यय पर नियंत्रण करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना। 5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व	**3. मंत्री/सचिव** 1. मंत्री/सचिव कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की होने वाली सभाओं को विवरण रखेगा। 2. साधारण सभा एवं कार्यकारिणी के होने वाली सभा का उचित रूप से प्रबन्ध करना व इसकी सब सदस्यों को सूचना एक सप्ताह पूर्व भिजवाना मंत्री/सचिव का

अध्यक्ष
CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

सचिव
SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

कोषाध्यक्ष
TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

	कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 6. पत्र व्यवहार करना। 7. सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।	कार्य होगा। 3. संस्था के हर प्रकार के रिकार्ड को मंत्री/सचिव तैयार करेगा। 4. कर्मचारियों की नियुक्ति करना, त्याग पत्र स्वीकृत करना, कार्यकाल वृद्धि स्थानारन्तरण, दण्ड देने आदि के प्रशासनिक अधिकार होंगे, किन्तु उसकी पुष्टि प्रबन्ध समिति से करानी होगी। 5. हर प्रकार की कार्यवाही के कागजात मंत्री पूरे विवरण के साथ तैयार करेगा एवं आहरण विवरण सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित करेगा। 6. वार्शिक रिपोर्ट बजट बगेरह मंत्री तैयार करेगा व कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बजट के लिए कोषाध्यक्ष की सहायता ली जा सकेगी। 7. संस्था के उद्धेश्यो की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या उसके किसी विभाग या किसी अन्य संस्था अथवा बैंक व व्यक्तियों से संस्था के लिये सहायता/ऋण आदि प्राप्त करेगा। 8. संस्था के निमित पत्र व्यवहार करना। 9. प्रबन्ध समिति की बैठकों का संचालन करना और कार्यवाहीयाँ अभिलिखित करना। 10. प्रबन्ध समिति के आदेशों और संकल्पों को क्रियान्वित करना। 11. संस्था की विनिहित निधियों, स्वत्व विलेखो और अन्य दस्तावेजो और कागज पत्रों का प्रभार रखना । 12. मंत्री/सचिव को कार्यकारिणी के निर्णयानुसार बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन का अधिकार होगा। 13. संस्था के लेखों की जाँच हस्ताक्षर और सर्वेक्षण करना।

अध्यक्ष
CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik
Vikas Sansthan (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

सचिव
SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik
Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

कोषाध्यक्ष
TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik
Sansthan

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

		14. प्रबन्ध समिति के पूर्व अनुमोदन से किसी भी कर्मचारी के निलम्बन के आदेश जारी करना। 15. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो प्रबन्ध समिति द्वारा समय–समय पर उसे सौपे जाये। 16. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करना संस्था का पक्ष प्रस्तुत करना, संस्था की ओर से न्यायिक, अर्द्धन्यायिक दस्तावेज इकरारनामा, डीड्स आदि पर हस्ताक्षर करने तथा संस्था के हित में वांछित सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। 17. संस्था की चल व अचल सम्पति की देखरेख सुरक्षा व्यवस्था करना, किराये पर देना, किराये प्राप्त करना, भुगतान करना आदि कार्यवाही का अधिकार मंत्री/सचिव को होगा।
	4. उपमंत्री : 1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना। 2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौपे जावें।	यथावत।
	5. कोषाध्यक्ष : 1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना। 3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4. अन्य प्रदत कार्य सम्पन्न करना।	**5. कोषाध्यक्ष :** 5. निधि की सुरक्षा व आय–व्यय का हिसाब तथा बैठकों में मंत्री के सहयोग से संस्था की संस्था की आर्थिक स्थिति का ब्यौरो प्रस्तुत करना।
16.	संस्था का कोष : संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगा। 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता	संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा। 1. दान–चन्दा 2. शुल्क 3. सहायता 4. राजकीय अनुदान

अध्यक्ष CHAIRMAN Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur) Reg.No.-87/2000-2001JPR

सचिव SECRETARY Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur) Reg.No.-87/2000-2001JPR

कोषाध्यक्ष TREASURER Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur) Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

	5. राजकीय अनुदान 1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी। 2. अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के सयुंक्त हस्ताक्षरो से बैंक में लेन–देन संभव होगा। 6. राष्ट्रीयकृत बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण।	5. राज्य / केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान 6. सम्पति से प्राप्त किराया आदि की आय 7. चैरिटी शौ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्राप्त आय। 8. अन्य सभी प्रकार की आय जो संस्था संचालनार्थ प्राप्त की जावे।
17.	कोष संबंधित विशेशाअधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की एक मुश्त राशि स्वीकृत कर सकेंगें:– 1. अध्यक्ष ....रू. 2. सचिव 40000 रू. 3. कोषाध्यक्ष 30000 रू. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आश्यक होगा अंकक्षण की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष तीनो में से किन्ही दो पदाधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से 10 लाख रूपये तक का भुगतान तथा संस्था की कार्यकारिणी की स्वीकृति से 10 लाख रूपये से ज्यादा का भुगतान या कार्य किया जा सकता है।	आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की एक मुश्त राशि स्वीकृत कर सकेंगें:– 1. अध्यक्ष 50000 / रू.
18.	संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखो जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐ को प्रस्तुत करने होंगें।	यथावत।
19.	संस्था के विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकता साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2 / 3 बहुमत से परिवर्तन परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1की धारा 12 के अनुरूप होगा।	यथावत।

अध्यक्ष
CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

सचिव
SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

कोषाध्यक्ष
TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location:

तुलनात्मक विवरण

20.	संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्धेश्य सम्पति वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।रजिस्ट्रार संस्थाऐ को पंजियन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।	यथावत।
21.	संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगी व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। प्रमाणित किया जाता उक्त विधान (नियमावली) अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्था समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।	यथावत।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

CHAIRMAN
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

SECRETARY
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

TREASURER
Abhinav Shaikshik Evam Samajik Vikas Sansthan Bassi (Jaipur)
Reg.No.-87/2000-2001JPR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.30 14:08:30 IST
Reason: Approved
Location: